वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(352)/2016-PD दिनांक/Dated: 21.11.2024

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण- संबंधी।

Sub : Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant - reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 3/7/2024-पी&पीडबल्यू(एफ) (10139) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith Government of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 3/7/2024-P&PW(F) (10139) dated 25.10.2024 on the above mentioned subject for your kind information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by M ARUN MANIKANDA BHARATHI

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं.3/7/2024-पी&पीडबल्यू(एफ) (10139)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 25.10. 2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण-संबंधी।

हाल ही में विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज दिए जाने के संबंध में पूछा गया है, कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज देय है या नहीं।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2016-पी&पीडबल्यू(एफ) **(प्रति संलग्न)** द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किए गए थे।

3. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति है। उनके खिलाफ लंबित किसी भी अनुशासनिक मामले या लगाए गए जुर्माने का सामान्य भविष्य निधि राशि के संवितरण पर **<u>कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।</u>** सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11(4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त

25.10.2024

(दिलीप कुमार साहू)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

सं. 3/3/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
डेस्क-एफ

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 16 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को समय पर जीपीएफ का अंतिम भुगतान करने से संबंधित स्पष्टीकरण - के संबंध में।

'भविष्य' के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में यह देखा गया है कि कई मामलों में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी/ अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान तत्काल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा। भुगतान करने का प्राधिकार, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले जारी किया जाएगा, किंतु वह सेवानिवृत्ति की तारीख को देय होगा। यह उल्लिखित है कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता को इस विभाग के दिनांक 15.11.1996 की अधिसूचना सं. 20(12)/94-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा समाप्त कर दिया गया है और दिनांक 23.11.1996 के एस.ओ.सं. 3228 के तहत अधिसूचित किया गया है।

3. सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 (4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जहां सामान्यत: सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने की अवधि के लिए ब्याज की अनुमति वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा दी जा सकती है, वहीं छह महीने से अधिक के ब्याज के भुगतान के लिए लेखा कार्यालय के प्रमुख और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहाकार के अनुमोदन की आवश्यकता है।

4. सामान्य भविष्य निधि का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज के अनावश्यक बोझ से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1960 के नियम 11 (4) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य हो जाता है, उन मामलों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में सामान्य भविष्य निधि के भुगतान में देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी सेवक/सेवकों के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव जिम्मेदारी तय करेंगे।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 27 सितंबर, 2016 के आईडी सं. 187/E.V/2016 के तहत जारी किया जाता है।

सीमा

(सीमा गुप्ता)
निदेशक

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली।

फा. न. 3/7/2024-P&PW(F) (10139)
भारत सरकार Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग Department of Pension & Pensioners' Welfare
***

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट नई दिल्ली Khan Market, New Delhi-110 003
दिनांक Dated: 25.10.2024

OFFICE MEMORANDUM

विषय : **Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant - regarding**

Recently few references regarding interest on delayed payment of GPF to the retired Government have been received for clarification whether interest is payable on GPF after retirement.

2. In this connection, it may be stated that detailed clarifications regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant were furnished to all Ministries/Departments vide this Departments' Office Memorandum No.3/3/2016-P&PW(F) dated 16th January, 2017 **(copy enclosed).**

3. The per Rule 34 of General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 clearly provides that when the amount standing at the credit of a subscriber in the General Provident Fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment.

4. It is also added the amount deposited in General Provident Fund Account is solely the asset of the individual Government servant. Any disciplinary case pending or penalty imposed against him **does not have any impact** on the disbursement of the GPF amount. As per Rule 11(4) of GPF Rules, in case the GPF balance is not paid on retirement, interest on the GPF balance is required to be paid for the period beyond the date of retirement also.

5. This issues with the approval of competent authority.

Encl – As above.

Sahu 25.10.2024
(दिलीप कुमार साहू) / (Dilip Kumar Sahu)
अवर सचिव, भारत सरकार / Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 011-24641627

To,

All the Ministries / Departments / organisations (As per Standard List)

No 3/3/2016-P&PW (F)
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
Desk-F

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated 16th January 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant – regarding

During review meetings held to evaluate the status of implementation of Bhavishya with Ministries/Departments, it was observed that GPF final payment in many cases is not being paid to the retiring Government servants immediately on retirement from service leading to payment of interest for the delayed period.

2. Rule 34 of General Provident Fund (Central Service) Rules clearly provides that when the amount standing at the credit of a subscriber in the General Provident Fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment. The authority for the amount payable is to be issued at least a month before the date of superannuation, but payable on the date of superannuation. It may be noted that the requirement of submitting a written application by the retiring Govt. servant for GPF final payment has been dispensed with vide this Department's Notification No. 20(12)/94-P&PW (E) dated 15.11.1996 and notified under S.O No.3228 dated 23.11.1996.

3. As per Rule 11(4) of GPF Rules, in case the GPF balance is not paid on retirement, interest on the GPF balance is required to be paid for the period beyond the date of retirement also. While interest for the first six months beyond retirement can be allowed by the PAO in the normal course, approval of Head of the accounts office is required for payment of interest beyond six months and that of Controller of Account/Financial Adviser beyond a period of one year

4. To ensure timely final payment of GPF, and to avoid unnecessary financial burden on account of interest beyond retirement, it has now been decided that every case, in which payment of interest on General Provident Fund becomes necessary in terms of Rules 11(4) of GPF Rules, 1960, shall be put up for consideration to the Secretary of the Administrative Ministry/Department. In all such cases the Secretary of the Administrative Ministry/ Department will fix responsibility at all levels to take appropriate action against the Government servant or servants who are found responsible for the delay in the payment of General Provident Fund.

5. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID NO.187/E.V/2016 dated 27th September 2016.

6. Hindi version will follow.

(Seema Gupta)
Director

To,

1. All Ministries/Departments (As per Standard Mailing list)
2. President Secretariat
3. UPSC
4. Office of C&AG, DDU Marg, New Delhi.